हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

चतुर्थ सत्र

<u>समाचार भाग-1</u>

संख्याः 27
मंगलवार, 19 दिसम्बर, 2023/28 मार्गशीर्ष, 1945(शक्)

<u>सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख</u>

समयः 11.00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

<u>माननीय अध्यक्ष द्वारा सम्बोधन</u>

"शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए मैं इस सदन में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों का अभिनंदन व आभार व्यक्त करता हूं। विशेषतौर पर माननीय सदन के नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी, प्रतिपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर जी, उप-मुख्य मंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी, संसदीय कार्यमंत्री श्री हर्षवर्धन सिंह चौहान जी तथा सभी सम्माननीय मंत्रीगण, समस्त मुख्य संसदीय सचिव और सभी विधायकगण जो शीतकालीन सत्र में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं। यह सत्र चौदहवीं विधान सभा का चौथा सत्र है और वर्तमान सरकार का धर्मशाला में दूसरा सत्र है। मैं आशा करता हूं कि पांच दिन चलने वाले इस शीतकालीन सत्र में सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों से मुझे सहयोग मिलता रहेगा। मेरा सभी से आग्रह रहेगा कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की परम्पराओं तथा गरिमा का सम्मान करते हुए नियमों की परिधि में रहकर जनहित से सम्बन्धित विषयों पर सदन में सार्थक चर्चा करें तथा सत्र के संचालन में अपना रचनात्मक सहयोग दें। इससे पूर्व कि आज की कार्यवाही आरम्भ की जाए, मेरा सभा-मण्डप में उपस्थित सभी से निवेदन है कि राष्ट्रगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।"

(राष्ट्रगान गाया गया)

1. मन्त्री परिषद् का परिचय

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने मन्त्री परिषद् में सम्मिलित किए गए दो मंत्रीगणों का परिचय करवाया।

2. शोकोद्गार

निम्नलिखित ने स्वर्गीय श्री बाल कृष्ण चौहान, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए शोकोद्गार व्यक्त किएः-

1. श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री
2. श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष
3. डॉ0 हंस राज,
4. श्री विपिन सिंह परमार
5. श्री नीरज़ नैय्यर
6. डॉ0 जनक राज

माननीय अध्यक्ष ने निम्नलिखित शब्दों में अपने शोकोद्गार व्यक्त किए-

"स्वर्गीय श्री बाल कृष्ण चौहान जो इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं, को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जो शोकोद्गार सदन में प्रस्तुत किए गए हैं उनमें मैं भी अपने आपको सम्मिलित करता हूं। स्वर्गीय श्री बाल कृष्ण चौहान जी का जन्म 11 अप्रैल, 1947 को स्वर्गीय श्री रिज्जू राम चौहान के घर गांव कुंडी सुनारा, जिला चम्बा में हुआ था। श्री बाल कृष्ण चौहान जी ने वर्ष 1974 में भारतीय प्रशासनिक सेवा पास करके बतौर जिलाधीश व झारखण्ड के अतिरिक्त मुख्य सचिव के रूप में सेवाएं दीं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी ऑन डैपुटेशन डिप्टी कमिशनर मण्डी, कमिशनर एक्साइज़ एण्ड टैक्सेशन हिमाचल प्रदेश और एम.डी. एच.पी. टूरिज्म के रूप में सेवाएं दीं। रिटायरमेंट के नज़दीक वर्ष 2007 में पहली बार वे विधायक चुने गए और वर्ष 2012 में दूसरी बार विधायक चुने गए। सामाजिक कार्यों, ग्रामीण एरिया में बेरोज़गारी को दूर करने तथा समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा उभारने के लिए वे विशेष तौर पर कार्य करते थे। स्वर्गीय श्री बाल कृष्ण चौहान जी के परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं प्रकट करता हूं।

जैसाकि सदन को विदित है कि हमारे माननीय सदस्य तथा सहयोगी श्री दविन्द्र कुमार (भुटो) जी की माता श्रीमती रत्नी देवी जी का 72 वर्ष की आयु में दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 को निधन हुआ है। मैं उनको भी सदन की ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं तथा उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। मैं माननीय सदन की ओर से भी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कामना करता हूं। सदन की भावनाओं को स्वर्गीय श्री बाल कृष्ण चौहान के शोक संतप्त परिवार तक पहुंचा दिया जाएगा।"

(**दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिए सदन में खड़े होकर कुछ क्षण के लिए मौन रखा गया**)

3. प्रश्नोत्तर

(I) तारांकित प्रश्न

तारांकित प्रश्न संख्याः 792 व 1004 के उत्तर पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा सम्बन्धित मंत्री द्वारा उत्तर दिए गए। तारांकित प्रश्न संख्याः 1005 से 1057 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(II) अतारांकित प्रश्न

अतारांकित प्रश्न संख्याः 194 व 260 तथा 443 से 468 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए समझे गए।

4. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री ने साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाया।

5. स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर

सचिव, विधान सभा ने निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैः-

(1) हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 11);

(2) हिमाचल प्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 12);

(3) हिमाचल प्रदेश (सड़क द्वारा कतिपय माल के वहन पर) कराधान संशोधन विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 13);

(4) हिमाचल प्रदेश नगरपालिका सेवा (संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 14);

(5) भारतीय स्टाम्प (हिमाचल प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक 15);और

(6) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक,2023 (2023 का अधिनियम संख्यांक16)।

6. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री रणवीर सिंह निक्का, माननीय सदस्य ने नुरपूर के खजिया में स्थापित गौसदन जो फोरलेन बनने से बन्द हो गया है, से उत्पन्न स्थिति की ओर **कृषि मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।''

कृषि मन्त्री ने उत्तर दिया ।

7. नियम-63 के अन्तर्गत अल्पकालीन चर्चाः

श्री चैतन्य शर्मा, सदस्य ने नियम-63 के अन्तर्गत "This House discuss the renewable energy vision for a sustainable future, empowering Himachal Pradesh" पर चर्चा की ।

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः

1. **श्री होशयार सिंह**
2. **श्री अनिल शर्मा**
3. **श्री राजेश धर्माणी, माननीय मन्त्री**
4. **श्री त्रिलोक जम्वाल**
5. **श्री जीत राम कटवाल**

(13.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक भोजनावकाश के लिए 2.10 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई)

(भोजनावकाश के उपरान्त 2.05 बजे अपराह्न सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुनः आरम्भ हुई)

नियम-63 के अन्तर्गत चर्चा जारी

6. डॉ0 हंस राज

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा चर्चा पर दिए जा रहे उत्तर के बीच में ही नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर तथा श्री रणधीर शर्मा ने माननीय मुख्य मंत्री को सदन में सही तथ्य पेश करने का आग्रह करते हुए कहा कि विधेयक लाने के बाद जो प्रोजैक्ट लगेंगे उन पर वॉटर सैस लगाया जा सकता है परन्तु जो प्रोजैक्ट 10-15 साल पहले स्थापित हो चुके हैं, उन पर वॉटर सैस लगाना उचित नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रोजैक्ट लगाने वाला कोर्ट में स्वाभाविक तौर पर जा सकता है। उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहराना भी उचित नहीं है।

माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति स्पष्ट करते हुए उत्तर पूरा दिया।

8. उपाध्यक्ष के चुनाव हेतु प्रस्ताव

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

"श्री विनय कुमार, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

श्री मुकेश अग्निहोत्री, उप-मुख्य मंत्री ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(2) **श्री चन्द्र कुमार, कृषि मंत्री ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-**

"श्री विनय कुमार, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ0 (कर्नल) धनीराम शांडिल ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

(3) **श्री जय राम ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष** ने निम्न प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि:-

"श्री विनय कुमार, सदस्य को हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

डॉ0 हंस राज, सदस्य ने प्रस्ताव का समर्थन किया।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि:

"श्री विनय कुमार, सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा को उपाध्यक्ष पद हेतु चुना जाए।"

सर्वप्रथम श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा गया।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार हुआ)

क्योंकि अन्य दो प्रस्ताव भी श्री विनय कुमार, सदस्य को उपाध्यक्ष पद पर चुने जाने से संबंधित थे और उनके नाम का प्रथम प्रस्ताव सभा द्वारा पारित किया जा चुका था। नियमानुसार अन्य दो प्रस्तावों को सभा में मतदान हेतु रखने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री विनय कुमार, सदस्य हिमाचल प्रदेश विधान सभा को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष पद हेतु चुने जाने की घोषणा की गई।

(श्री विनय कुमार उपाध्यक्ष पद के लिए सर्वसम्मति से निर्वाचित हुए)

माननीय उपाध्यक्ष श्री विनय कुमार को सदन के नेता श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, विपक्ष के नेता श्री जय राम ठाकुर तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री हर्षवर्धन चौहान ने उपाध्यक्ष की कुर्सी तक पहुंचा कर पदासीन किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर तथा माननीय मुख्य मंत्री श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने माननीय उपाध्यक्ष को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी।

माननीय उपाध्यक्ष ने प्रतिउत्तर में सदन के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए आश्वासन दिया कि वे सदन की कार्यवाही पूरी निष्ठा, ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात से चलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि उन्हें सभा की कार्यवाही के संचालन में माननीय अध्यक्ष महोदय का मार्गदर्शन तथा माननीय सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होता रहेगा।

8. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्ताव

(1) **श्री विपिन सिंह परमार, सदस्य** ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया एवं चर्चा की:

> "प्रदेश में बढ़ रही गम्भीर बीमारियों जैसे किडनी, हृदय, कैंसर, पारकिंसन्स, हिमोफिलीया, थैलीसीमिया व अन्य बढ़ती बीमारियों एवं स्वास्थ्य सुविधाओं बारे यह सदन विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया-

1. श्री चंद्र शेखर
2. श्री रणधीर शर्मा
3. श्री सुरेश कुमार

(04.25 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए)

4. डॉ0 हंस राज
5. श्री सुदर्शन सिंह बबलू

(04.56 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

6. श्री पवन कुमार काज़ल

(05.00 बजे अपराह्न सदन की बैठक 06.30 बजे अपराह्न तक बढ़ाई गई)

(05.10 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, सभापति पदासीन हुए)

7. श्री राम कुमार, मुख्य संसदीय सचिव
8. श्री विनोद कुमार
9. श्री विनोद सुल्तानपुरी
10. डॉ0 जनक राज

(05.54 बजे अपराह्न अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

चूंकि अभी चर्चा में भाग लेने हेतु चार माननीय सदस्य शेष थे अतः संसदीय कार्यमन्त्री ने सुझाव दिया कि समयाभाव के दृष्टिगत चारों माननीय सदस्य प्रस्ताव पर कल चर्चा में भाग ले सकते हैं। इस पर सदन ने भी अपनी सहमति प्रकट की।

अध्यक्ष महोदय ने संसदीय कार्यमंत्री तथा सदन के माननीय सदस्यों के मत पर सहमति प्रकट करते हुए चर्चा हेतु शेष सदस्यों तथा आज के लिए प्रस्तावित नियम-130 के तहत प्रस्ताव पर दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को चर्चा करवाने का निर्णय लिया।

06.15 बजे अपराह्न सदन की बैठक बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित हुई।

(**यशपाल शर्मा**)
सचिव